

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 29/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निर्माणाखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निवहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में काय करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	नोटिसों का नाम एवं	संख्या एवं दिनांक	नियुक्त प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. अटलांटिक शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, 124-B, मित्तल कोट, 224, नरोमन पॉइंट, मुंबई-400021 और 3 अन्य.	फ़ा. सं. DRI/CZU/VIII/26/33E/2018 दिनांक 30.05.2019.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (नहावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II), न्यू कस्टम हाउस, बल्लाड इस्टेट, मुंबई. आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू कस्टम हाउस, पनांबुर, मंगलोर. आयुक्त सीमाशुल्क, नवरंगपुरा, कस्टम हाउस, अहमदाबाद.	अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

			आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.	
--	--	--	--	--

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-24/2019-CI]

(श्री)
।

प्रतिर्लाप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

- । स (5) म वर्णित समान न्यायनिणयन प्राधिकारों को मामले के न्याय निणयन हेतु।
- । स (4) म वर्णित न्यायनिणयन प्राधिकारों।
- प्र / । , राजस्व आसूचना निदेशालय- न को इस निवेदन के साथ कि वे ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निणयनन अधिकारों का नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, । , । स (Relied Upon Documents) । । । स । (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारों को भेज दे